न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हजारी बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रकरण - 24/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक हा./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.8.23 को पेश हो।	
28.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। प्रकरण मे प्रार्थी हजारी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.81 हैक्टर का पुनः सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का गढटकनेत व रायपुर जागीर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थी ने प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: Self Attested

28/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2021	2021 / 155	15.06.2021	28.08.2023

उनवान प्रकरण

हजारी पुत्र मालीराम जाति बलाई निवासी ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रार्थी––

बनाम्

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. अशोक पुत्र मालीराम
3. कमला देवी पुत्री सुवा
4. कोयली देवी पत्नि मालीराम
5. गुलाब पुत्री मालीराम
6. जीवणी पुत्री मालीराम
7. पुष्पा पुत्री मालीराम
8. बबली पुत्री मालीराम
9. बिदामी पुत्री श्रवणलाल
10. ममता पुत्री श्रवणलाल
11. राजू पुत्र मालीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

12 रामकरण पुत्र सुवा

13 लिछमा पुत्री मालीराम

14 विक्रम पुत्र श्रवणलाल

15 श्यामलाल पुत्र सुवा

16 शांति देवी पत्नि श्रवणलाल

17 शांति देवी पुत्री सुवा

18 सुन्दरराम पुत्र सुवा

19 सरदार पुत्र सुवा

20 सुष्या पुत्री श्रवणलाल

21 सावित्री पुत्री श्रवणलाल

22 रूघनाथ पुत्र श्रवण

23 मुकेश पुत्र बोदूराम

24 सोनी देवी पत्नि बोदूराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––अप्रार्थीगण––

उपस्थित :–

हजारी लाल स्वयं प्रार्थी।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थ[illegible] 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.81 हैक्टर तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 22 एवं अप्रार्थीगण नम्बर 23 व 24 के मृतक पिता/पति बोदूराम राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। बोदूराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान अप्रार्थीगण नम्बर 23 व 24 है। उक्त वर्णित भूमियो का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आदेश क्रमांक भू.अ./21/70 दिनांक 23.04.2021 की पालना में पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2021 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त भूमियो पर मौके पर कोई फसल काश्त नही की हुई है। उक्त भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी का पेश कर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.81 हैक्टर तन् ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2021 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 की तामील हुए दो वर्ष से भी अधिक का समय हो चूका है। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 24 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण मे अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु लिखा गया परन्तु तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

हो जाने के उपरान्त भी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर उपस्थित प्रार्थी द्वारा यह अवगत करवाया कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 877 का पुनः सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का गढटकनेत व पटवार हल्का रायपुर जागीर के साथ मय पुलिस जाब्ता के सीमाज्ञान गैर मुस्तिकल बिन्दु खसरा नम्बर 1410 किस्म गै0 मु0 चाह से पाईंट होकर भूमि खसरा नम्बर 877 का सीमाज्ञान करवाया जाकर सम्बन्धित खातेदारान् को सीमाज्ञान की जानकारी दी गई थी। सीमाज्ञान के दौरान तैयार फर्द मौका रिपोर्ट पर उपस्थित खातेदारान् व मौत बिरान के भी हस्ताक्षर करवाये गये थे। प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रकरण में जॉच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से तथा प्रकरण में पुनः पत्थरगढी करवा लिये जाने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 24 के नाम दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी व अन्य खातेदारान् का कब्जा काश्त मौके पर होने तथा मौके पर वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं होना तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं होने बाबत अवगत कराया गया तथा पटवारी हल्का गढटकनेत द्वारा दिनांक 03.06.2022 को पुनः किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमने प्रार्थी [illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

नंबर 877 रकबा 0.81 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 22 व अप्रार्थीगण नम्बर 23 व 24 के मृतक पिता/पति बोदूराम के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसमें खातेदार बोदूराम का स्वर्गवास होना प्रतीत होता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का गढटकनेत के द्वारा दिनांक 09.06.2021 के द्वारा तथा पुनः सीमाज्ञान पटवारी हल्का गढटकनेत व पटवारी हल्का रायपुर जागीर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.06.2022 को किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संयुक्त रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित व उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर राज.)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पुनः सीमाज्ञान पटवारी हल्का गढटकनेत व पटवारी हल्का रायपुर जागीर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा 877 रकबा 0.81 हैक्टेयर [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने [illegible] दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू. अ. निरीक्षक [illegible] एवं दो पटवारियान की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का गढटकनेत व पटवारी हल्का रायपुर जागीर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 03.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:41:06 IST
Reason: SelfAttested